21/2/25

22/2/25

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
सांगानेर, जयपुर महानगर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11 /2025

रमेश चन्द बलाई उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम खेजड़ो का बास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।

प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार बैरवा पुत्र श्री नानगराम बैरवा
2. घनश्याम बैरवा पुत्र श्री नानगराम बैरवा
3. सुनिल बैरवा पुत्र श्री नानगराम बैरवा

समस्त जातियान् बैरवा समस्त निवासियान ग्राम श्रीरामपुरा, पोस्ट लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर

पता तहसील कार्यालय मैन बाजार सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।

अप्रार्थीगण

5. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक पता राजापार्क, जयपुर, राजस्थान प्रान्त।

प्रफोंमा अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि.

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार सविनय प्रस्तुत है :-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 17/2025
निर्णय दिनांक: 28.02.2025

उनवान

...चन्द बलाई उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम खेजडो का बास, तहसील सांगानेर जिलय जयपुर राजस्थान प्रान्त।

प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार बैरवा पुत्र श्री नानगराम बैरवा
2. घनश्याम बैरवा पुत्र श्री नानगराम बैरवा
3. सुनिल बैरवा पुत्र श्री नानगराम बेरवा
समस्त जातियान बैरवा, समस्त निवासीयान श्रीरामपुरा, पोष्ट लाखना पोष्ट लाखना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता तहसील कार्यालय सांगानेर मैन बाजार सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त।
5. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक पता राजापार्क, जयपुर राजस्थान प्रान्त।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त शीर्षकीय प्रार्थना पत्र ठोस व सुदृढ तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तूत किया है प्रार्थी को सफलता की प्राप्ति की पूर्ण आशा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 व 3 की संयुैत खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 89 पुराना 85 के आराजी खसरा नम्बर 391 रगबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 392 रगबा 0.2500 है0 393 रगबा 0.2900 है0, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.010 है0, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.3300 है0, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.3000 है0, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.2500 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.2600 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना, भू.अभि.नि. क्षैत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान में प्राथी का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा ही उक्त वाद में वादग्रस्त होने से आगे वादग्रस्त भूमि से सम्वंधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1ता 3 द्वारा किसी सक्षम अधिकारी से भू–रूपान्तरण करवाने बिना आपसी मिलीभगत कर आवासीय योजना विकसित करने का अनुचित प्रयास किया जा रहा है। जो कि वादग्रस्त भुमि का अभि तक विधिवत रूप से पक्षकारो में विभाजन नही हुआ है ऐसी दशा में अप्रार्थी. संख्या 1 ता 3 को वादग्रस्त भूमि का बिना विधिवत बंटवारा कराये बैचान एवं आवासीय कॉलोनी विकसित करने का कोई अधिकार हासिल नही है। दिनांक 20.01.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 पॉच ,छ व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमि पर आकर ना जोख करने लगे। जिस पर प्रार्थी व उसके परिवारजनों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 आग बबुला हो गये और प्रार्थी के साथ गाली गलोच

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

करते हुए प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि को बैचान कर छोटे-छोटे भूखण्डों में विभक्त कर आवासीय कॉलोनी विकसित करेगें, इस पर प्रार्थी ने अनुरोध किया कि आप अपने हिस्से की भूमि माननीय न्यायालय से विधिवत रूप से करवाये बिना बैचान नही की जा सकती और ना ही कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जा सकती, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने ऐलानिया धमकी दी कि कोर्ट कचहरी हमारा कुछ नही बिगाड सकती तथा वादग्रस्त भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में विभक्त कर आवासीय कॉलोनी विकसित की जाकर दीगर व्यक्तियो को बैचान कर देगें।

उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का आज दिन तक विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है। तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है ऐसी सूरत में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को कोई अधिकार नही है। कि माननीय न्यायायल से विधिवत तकासमा करवाये बिना अन्य दिगम व्यक्तियों को बैचान कर दे। अस कारण प्रार्थी जरिये न्यायालय विधिक रूप से अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि का कब्जे काश्त के आधार पर तकासमा करवाये। इस कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का विधिक अधिकारी है। कि अप्रार्थी संख्या 3 मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का जब तक जरिये न्यायालय विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 वादग्रस्त आराजी को रहन , बैय, मुन्तकिल, बैचान इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति या संस्था को न करे। तथा वादग्रस्त भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में विभकक्त कर आवासीय कॉलोनी सृजित कर दिगर व्यक्तियों को बैचान ना करे तथा वादग्रस्त भूमि की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थी संख्या 4 भूमि धारक है , इसलिए अप्रार्थी संख्या 4 आवश्यक पक्षकार होने से बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है।, तथा अप्रार्थी संख्या 5 से वादग्रस्त भूमि पर ऋण सुविधा प्राप्त की गयी है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 5 को प्रफोर्मा पंख होने से बतौर पक्षकार संयोंजित किया गया है। तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद कारण दिनाक 20.01.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आकर नाप जोख करने तथा वादग्रज्ञत भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में विभक्त कर आवासी कॉलोनी विकसित कर बैचान करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन बखुबी साबित है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने बैध हक हकुकों की भूमि से महरूम हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी दशा में किया जाना सम्भव नही हो सकेगा।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थी सख्या 1 ता 3 को ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 89 पुराना 85 के आराजी खसरा नम्बर 391 रगबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 392 रगबा 0.2500 है0 393 रगबा 0.2900 है0, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.010 है0, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.3300 है0, खसरा

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

नम्बर 424 रकबा 0.3000 है0, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.2500 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.2600 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना, भू.अभि.नि. क्षैत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 किसी अन्य व्यक्ति , संस्थान संगठन इत्यादि को रहन, बैचान , खुर्द बुर्द न करे तथा वादग्रज्ञत भुमि को छोटे छोटे भूखण्डों में विभक्त कर आवासीय कॉलोनी सृजित कर दिगर व्यक्तियों को बैचान ना करे, ना ही किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण करे, ऐसा ना तो स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 करे और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट सर्वेन्ट अभिकर्ता इत्यादि से करावे। तथा वादग्रस्त भूमि की रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 21.02.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये।

बहस प्रार्थना पत्र वकील वादी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थी सख्या 1 ता 3 को ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 89 पुराना 85 के आराजी खसरा नम्बर 391 रगबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 392 रगबा 0.2500 है0 393 रगबा 0.2900 है0, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.010 है0, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.3300 है0, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.3000 है0, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.2500 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.2600 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना, भू.अभि.नि. क्षैत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 किसी अन्य व्यक्ति , संस्थान संगठन इत्यादि को रहन, बैचान , खुर्द बुर्द न करे तथा वादग्रज्ञत भुमि को छोटे छोटे भूखण्डों में विभक्त कर आवासीय कॉलोनी सृजित कर दिगर व्यक्तियों को बैचान ना करे, ना ही किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण करे, ऐसा ना तो स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 करे और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट सर्वेन्ट अभिकर्ता इत्यादि से करावे। तथा वादग्रस्त भूमि की रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:– (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, वादग्रस्त आराजी का

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

[illegible] आज दिनांक तक नही हुआ है इस तथ्य को भी स्वीकार किया है एवं सभी [illegible] अपनी सहूलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज होकर [illegible] चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी से भू- रूपान्तरण करवाये बिना आपसी मिलिभगत कर आवासीय योजना विकसित करने का अनुचित प्रयास किया जा रहा है बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वादों की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को होगी। उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 29.01.2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना, भू.अभि. नि. क्षैत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 89 पुराना 85 के आराजी खसरा नम्बर 391 रगबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 392 रगबा 0.2500 है0 393 रगबा 0.2900 है0, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.010 है0, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.3300 है0, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.3000 है0, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.2500 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.2600 है0 जब तक विधिवतं बटवारां नही हो जाता तब तक किसी अन्य व्यक्ति, संस्थान संगठन इत्यादि को रहन, बैचान , खुर्द बुर्द न करे तथा वादग्रस्त भुमि को छोटे छोटे भूखण्डों में विभक्त कर आवासीय कॉलोनी सृजित कर दिगर व्यक्तियों को बैचान ना करे, ना ही किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण करे, ऐसा ना तो स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 करे और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट सर्वेन्ट अभिकर्ता इत्यादि से करावे। तथा वादग्रस्त भूमि में मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर